राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या –1314/2013/अजमेर

श्रीमती रश्मि शर्मा अनुज्ञाधारी
भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर, अजमेर — अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए आयुक्त,आबकारी,उदयपुर — प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री खेमराज, अध्यक्ष

श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थितः

श्री ओ.पी.दौसाया
अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से

श्री आर.के. अजमेरा
उप राजकीय अभिभाषक — प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 08.09.2016

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा यह अपील राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 9क के अन्तर्गत आयुक्त, आबकारी, जोधपुर द्वारा क्रमांक प.29(बी)अभि/1/आब/12/728 दिनांक 27.05.2013 में पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि सहायक आबकारी अधिकारी, अजमेर द्वारा भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर दुकान नम्बर 9 जोन नम्बर 4 परबतपुरा बाईपास अजमेर स्थित अपीलार्थी की शराब की दूकान का दिनांक 28.06.2012 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान दुकान पर निर्धारित प्रारूप में मूल्य सूची का बोर्ड लगा हुआ नहीं पाया गया। दुकान पर स्वीकृत नौकरनामा, स्टॉक रजिस्टर, स्वीकृत लोकेशन एवं निरीक्षण पंजिका नहीं पाये गये,जिसके फलस्वरूप अनुज्ञापत्र की शर्तो का उल्लंघन होने के कारण अनुज्ञाधारी श्रीमती रश्मि शर्मा के विरूद्ध अधिनियम की धारा 58 (सी) के तहत अभियोग संख्या 10 दिनांक 29.06.2012 पंजीकृत किया गया। उक्त अभियोग के क्रम अपीलार्थी को दिनांक 20.09.2012 को नोटिस जारी किया गया। उक्त अभियोग को विभागीय स्तर पर संयोज्य करने हेतु संयोज्य प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया,जिस पर जिला आबकारी अधिकारी ने मय जांच रिपोर्ट के प्रकरण संयोज्य हेतु आयुक्त,आबकारी विभाग, उदयपुर को प्रेषित किया, उक्त अभियोग पर आयुक्त,आबकारी विभाग ने विचार करने के पश्चात यह माना कि अपीलार्थी द्वारा वक्त निरीक्षण दुकान पर पाई गई

अनियमितता को एक गंभीर प्रकृति का अपराध होने के साथ ही अनुज्ञापत्र की शर्तो का उल्लंघन भी है इसलिए अधिनियम की धारा 70 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्होंने रू. 70,000/–जमा कराने पर संयोज्य के आदेश प्रदान किये, साथ ही यह भी आदेश दिए कि 15 दिवस में उक्त राशि जमा नहीं कराने पर राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 76 सी के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र निरस्त करने की कार्यवाही की जाए।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से कथन किया गया कि सहायक आबकारी अधिकारी द्वारा दिनांक 28.06.2012 को अनुज्ञाधारी के विरूद्ध झॅठा अभियोग बनाये जाने के कारण तत्काल उसी दिन व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जिला आबकारी अधिकारी,अजमेर को शिकायत की गई थी,जिस पर ध्यान नही दिया गया । उनका कथन है कि इसी प्रकार की शिकायत जरिए तार आबकारी आयुक्त,उदयपुर को भेजी गई थी। उनका कथन है कि जिला आबकारी अधिकारी ने सहायक आबकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार अधिनियम की धारा 58 (सी) का उल्लंघन मानते हुए नोटिस जारी किया गया,जिसका विस्तृत जवाब प्रस्तुत किया गया,जिस पर ध्यान दिये बिना अभियोग को संयोज्य करवा लेने अथवा उसका काराबोर बंद करने की कार्यवाही करने का दबाव डाला जाता रहा है। उनका कथन है कि दबाव बनाकर जिला आबकारी अधिकारी द्वारा दिनांक 04.03.2013 को अभियोग को संयोज्य करने के लिए अपीलकर्ता से प्रार्थना पत्र ले लिया गया, जिसके आधार पर आबकारी आयुक्त, उदयपुर द्वारा आदेश दिनांक 27.05.2013 पारित करते हुए विचाराधीन अभियोग को रू. 70,000/– जमा कराने पर संयोज्य के आदेश दिये हैं। उनका कथन है कि समस्त कार्यवाही मनमाने तारीके से सम्पन्न करते हुए आयुक्त,आबकारी विभाग, उदयपुर ने अधिनियम की धारा 70 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रू. 70,000/–की शास्ति आरोपित की है, जबकि धारा 70 के अन्तर्गत अधिकतम शास्ति रू. 5000/–आरोपित की जा सकती है। अधिनियम की धारा 70(1) निम्न प्रकार है :–

"subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, the Exicse commissioner or nay other Excise Officer specially empowered by the State Government in that behalf may accept from any person who licence, permit or pass is liable to be cancelled or suspended under this Act, or who is reasonable suspected of having committed an offence punishable under this Act, a sum of money not less than Rs. 5,000/- but not exceeding 10 times of the annual licence fee in respect of manufacturing units/bonds and wholesale vends etc. and not more than two times of exclusive privilege amount in case of liquor and beer shops alongwith other levies applicable from time to time in lieu of such cancellation of suspension or by way of composition for such offence which may have been committed, as the case may be, and in all cases whatsoever in which any property, has been seized as liable to confiscation under this Act(may release all such property except an excisable article on payment of the value thereof as estimated by such officer and may confiscate the excisable article.)

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर के आदेश दिनांक 27.05.20123 का समर्थन करते हुए कथन किया कि दिनांक 28.06.2012 को सहायक आबकारी अधिकारी, अजमेर द्वारा भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर दुकान नम्बर 9 जोन नम्बर 4 परबतपुरा बाईपास अजमेर स्थित अपीलार्थी की शराब की दूकान का दिनांक 28.06.2012 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान दुकान पर निर्धारित प्रारूप में मूल्य सूची का बोर्ड लगा हुआ नहीं पाया गया। दुकान पर स्वीकृत नौकरनामा, स्टॉक रजिस्टर, स्वीकृत लोकेशन एवं निरीक्षण पंजिका नहीं पाये गये,जिसके फलस्वरूप अनुज्ञापत्र की शर्तो का उल्लंघन होने के कारण अनुज्ञाधारी श्रीमति रश्मि शर्मा के विरूद्ध अधिनियम की धारा 58 (सी) के तहत अभियोग संख्या 10 दिनांक 29.06.2012 पंजीकृत किया गया। उनका कथन है कि उक्त अनियमितता के आधार पर जिला आबकारी अधिकारी द्वारा नोटिस दिये जाने पर उसके द्वारा दिनांक 04.03.2013 को अभियोग संयोज्य कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया,जिसके आधार पर आबकारी आयुक्त,उदयपुर द्वारा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए अधिनियम की धारा 70 के अन्तर्गत रू. 70,000/–जमा कराने अभियोग को संयोज्य करने का आदेश दिनांक 27.05.2013 पारित किया है,जो पूर्णतः उचित है। उनका कथन है कि अपीलार्थी व्यवहारी का यह कथन कि उस पर दबाव डालकर संयोज्य प्रार्थना पत्र लिया गया, पूर्णतः गलत है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी, उपलब्ध रिकार्ड का अध्ययन किया गया। प्रकरण के तथ्यों के अनुसार दिनांक 28.06.2012 को सहायक आबकारी अधिकारी, अजमेर द्वारा भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर दुकान नम्बर 9 जोन नम्बर 4 परबतपुरा बाईपास अजमेर स्थित अपीलार्थी की शराब की दूकान का दिनांक 28.06.2012 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान दुकान पर निर्धारित प्रारूप में मूल्य सूची का बोर्ड लगा हुआ नहीं पाया गया। दुकान पर स्वीकृत नौकरनामा, स्टॉक रजिस्टर, स्वीकृत लोकेशन एवं निरीक्षण पंजिका नहीं पाये गये,जिसके फलस्वरूप अनुज्ञापत्र की शर्तो का उल्लंघन होने के कारण अनुज्ञाधारी श्रीमति रश्मि शर्मा के विरूद्ध अधिनियम की धारा 58 (सी) के तहत अभियोग संख्या 10 दिनांक 29.06.2012 पंजीकृत किया गया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अभिवाक् किया है कि दबाव बनाकर जिला आबकारी अधिकारी द्वारा दिनांक 04.03.2013 को अभियोग को संयोज्य करने के लिए अपीलकर्ता से प्रार्थना पत्र ले लिया गया, उचित नहीं है क्योंकि वक्त चेकिंग अनियमितता पाये जाने के आधार पर जिला आबकारी अधिकारी द्वारा नोटिस दिये जाने पर उसके स्वयं द्वारा दिनांक 04.03.2013 को अभियोग संयोज्य कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर जिला आबकारी अधिकारी ने आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर को मय वास्तविक रिपोर्ट के भेजा है,जिस पर विचार करने के पश्चात आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर ने अधिनियम की धारा 70 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रू. 70,000/–जमा कराने की शर्त पर अभियोग को संयोज्य करने का आदेश दिनांक 27.05.2013 पारित किया है,जो पूर्णतः उचित है। .

फलस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत की गई अपील अस्वीकार की जाती हैं।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य

(खेमराज)
अध्यक्ष